यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, हरमिलाप मिशन जिला चिकित्सालय, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, हरमिलाप मिशन जिला चिकित्सालय, हरिद्वार के माह 07/2015 से 06/2017 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, श्री प्रितान्शु कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 08.08.2017 से 11.08.2017 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री वी0पी0 सिंह, श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री एफ0आर0 खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 27.07.2015 से 03.08.2015 तक श्री डी0एन0 मिश्रा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 07/2013 से 06/2015 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2015 से 06/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई द्वारा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने हेतु आवश्यक मूल–भूत सुविधाओं की ब्यवस्था करना, चिकित्सालय में रोगियों को निःशुल्क उपचार प्रदान करना, औषधि क्रय एवं निःशुल्क वितरण की ब्यवस्था करना एवं मुख्यमत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत सुविधाऐं प्रदान करना है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र चिकित्सालय परिसर तक सीमित है, जिसमें जिसमें आने वाले समस्त रोगियों का इलाज किया जाता है।

(ii) (अ) विगत पॉच वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	–	–	8.61	8.61	784.55	783.77	–	–	–	0.78
2016–17	–	–	9.48	9.48	628.30	628.30	–	–	–	–
2017–18 (06/2017)	–	–	0	0	269.13	219.99	–	–	–	49.14

नोटः प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि समर्पण की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	एन0एच0एम0	19.30	25.75	36.03	–	9.02
2016–17		9.02	52.19	46.73	–	14.48
2017–18 (06/2017)		14.48	3.55	0	–	18.03

(iii) इकाई को बजट आबंटन राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ''सी'' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

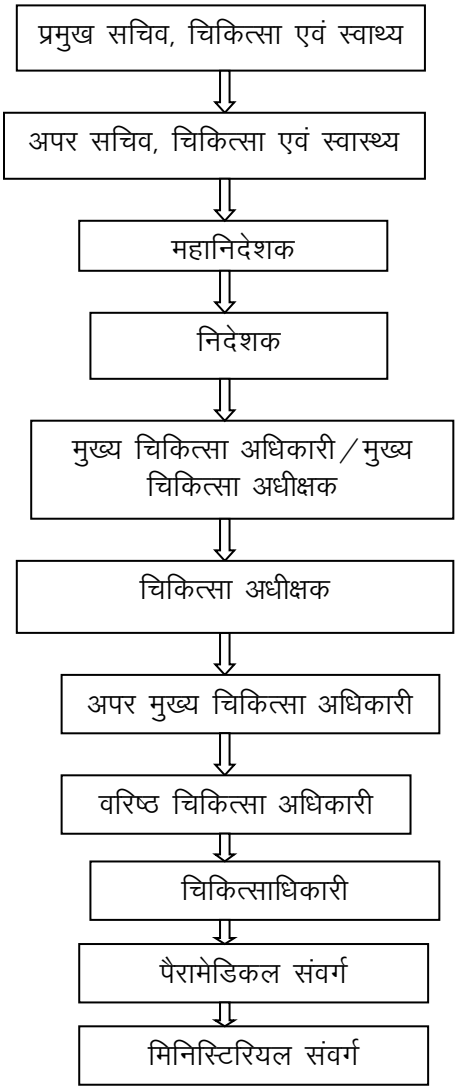

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, हरमिलाप मिशन जिला चिकित्सालय, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, हरमिलाप मिशन जिला चिकित्सालय, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह फरवरी 2016 एवं मार्च 2017 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'अ'

प्रस्तर–1 मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत रु0 18.48 लाख की शासकीय हानि।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला चिकित्सालय, हरिद्वार, थर्ड पार्टी प्रशासक (टी0पी0ए0) एवं बीमा कम्पनियों (i) यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई फेस–। तथा (ii) बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना फेस–।। के मध्य सेवा अनुबन्ध हेतु एक समझौता ज्ञापन[1] किया गया। समझौता ज्ञापन के बिन्दु संख्या 14 में उल्लिखित भुगतान के नियम एवं शर्त के अनुसारः

1. चिकित्सालय को लाभार्थी के चिकित्सा उपचार, शल्य चिकित्सा, ओ0पी0डी0 इत्यादि से सम्बन्धित अन्तिम/वॉछित दस्तावेज लाभार्थी के चिकित्सालय से डिस्चार्ज होने के सात दिनों के भीतर बीमा कम्पनी को ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
2. यदि चिकित्सालय इन्टरनेट कनेक्टिविटी या अन्य कारणों से वॉछित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने में असमर्थ रहता है तो भुगतान हेतु दावों को अधिकतम 10 दिनों के भीतर इलेक्ट्रोनिकली या मैन्युअली रुप से बीमा कम्पनी को प्रस्तुत करना होगा।
3. दावा प्रेषित करते समय चिकित्सालय भुगतान हेतु दावों को प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारणों को बीमा कम्पनी को सूचित करेगा। यदि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे 30 दिनों के भीतर बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किए गये हों तो बीमा कम्पनी इस आधार पर दावों को अस्वीकार नहीं करेगी कि दावे 10 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं हुए या निर्धारित प्रारुप में नहीं थे।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, हरमिलाप मिशन जिला चिकित्सालय, हरिद्वार के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एम0एस0बी0वाई0) से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु फेस–। में यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई को 30 जून 2016 तक रु0 20,93,090 की राशि के 282 चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत किए गये, जिसमें से लेखापरीक्षा अवधि तक बीमा कम्पनी द्वारा मात्र 42 मामलों में ही रु0 3,20,650 की राशि प्रतिपूर्ति की गई तथा रु0 17,65,690 के 240 दावे प्रतिपूर्ति हेतु इस आधार पर अस्वीकृत की गई कि चिकित्सालय द्वारा उक्त दावों को समझौता ज्ञापन में निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्रस्तुत किया। इसीप्रकार, फेस–।। के अन्तर्गत 01 अगस्त 2016 से बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना को 30 जून 2017 तक रु0 6,64,700 की राशि के 78 चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत किए गये, जिसमें से लेखापरीक्षा अवधि तक

[1] यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई (01.04.2015 से 31.07.2016) एवं बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना (01.08.2016 से वर्तमान तक)।

बीमा कम्पनी द्वारा मात्र 39 मामलों में ही रु0 2,34,000 की राशि प्रतिपूर्ति की गई तथा रु0 72,800 के 08 दावों को प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु अस्वीकृत/निरस्त किया गया। अवशेष 31 मामले अभी बीमा कम्पनी में लम्बित थे। चिकित्सालय द्वारा बीमा कम्पनियों को प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत दावों, उसके सापेक्ष भुगतानित दावों एवं अस्वीकृत दावों का विवरण निम्नवत् हैः–

बीमा कम्पनी	योजना का नाम	समझौता अवधि की तिथि	कुल प्रस्तुत दावे		भुगतानित दावे		अस्वीकृत दावे	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई	एम0एस0बी0वाई0 **फेस–।**	01.06.2015 से 30.06.2016 तक	282	20,93,090	42	3,20,650	240	17,65,690
बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना	एम0एस0बी0वाई0 **फेस–।।**	01.08.2016 से वर्तमान तक	78	6,64,700	39	2,34,000	08	72,800
	योगः–		**360**	**27,57,790**	**81**	**5,54,650**	**248**	**18,38,490**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि अनुबन्ध में निर्धारित समयावधि में प्रतिपूर्ति हेतु अभिलेखों को अपलोड न किए जाने के कारण बीमा कम्पनी द्वारा प्रेषित 248 प्रकरणों को निरस्त किया गया। इसप्रकार, चिकित्सालय द्वारा 248 दावों को निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत न करने एवं बीमा कम्पनी द्वारा इन्हें अस्वीकार/निरस्त किए जाने के परिणामस्वरुप राज्य सरकार को रु0 18.38 लाख की शुद्ध हानि हुई।

अतः मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत रु0 18.48 लाख की शासकीय हानि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 यूजर चार्जेज के रुप में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष रु0 7.26 लाख कम दर्शाए जाने के साथ–साथ चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में रु0 2.96 लाख कम जमा किया जाना।

उत्तराखण्ड के जिला चिकित्सालयों, संयुक्त चिकित्सालयों एवं बेस चिकित्सालयों आदि के प्रबन्धन में लोच एवं गतिशीलता तथा चिकित्सकीय सेवाओं की गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा शासनादेश संख्या 236/वि0–2–2003 दिनांक 24 मार्च 2003 के माध्यम से दिशा–निर्देश निर्गत किए। निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य के उक्त चिकित्सा संस्थाओं के प्रबन्धन हेतु प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबंधन समिति का गठन किया जाना था, साथ ही चिकित्सालयों को यूजर चार्जेज के रूप में मिलने वाली धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि राजकोष में तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि चिकित्सालय संचालनार्थ चिकित्सा प्रबंधन समिति के खाते में जमा की जानी थी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, हरमिलाप मिशन जिला चिकित्सालय, हरिद्वार के विभिन्न यूजर चार्जेज संग्रह अनुभागों की प्राप्ति रशीदों, पंजिकाओं एवं उनके द्वारा जमा यूजर चार्जेज से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में निम्नलिखित आपत्तियॉ प्रकाश में आएः–

1. चिकित्सालय में विभिन्न यूजर चार्जेज संग्रह अनुभागों द्वारा रोगियों से प्राप्त यूजर चार्जेज एवं अन्त में चिकित्सालय में जमा यूजर चार्जेज में रु0 7.26 लाख का अन्तर पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	रसीद बुकों से प्राप्त राशि						चिकित्सालय द्वारा जमा राशि	अन्तर
	ओ0पी0डी0	आकस्मिक	सैन्टर यूजर	डेन्टेल	फिजियो	योग		
2015–16 (7/2015)	920009	161824	2563647	55214	24427	3725121	3142221	582900
2016–17	1356549	348742	4148832	72410	45524	5972057	5824372	147685
2017–18 (6/2017)	315856	80736	885301	26382	9698	1317973	1322549	– 4576
योगः–	**2592414**	**591302**	**7597780**	**154006**	**79649**	**11015151**	**10289142**	**726009**

उक्त से स्पष्ट है कि यूजर चार्जेज संग्रह अनुभागों द्वारा रोगियों से वसूली गई राशि रु0 110.15 लाख के सापेक्ष रु0 102.89 लाख ही चिकित्सालय में जमा किया गया तथा रु0 7.26 लाख को न तो जमा ही किया गया एवं न ही प्रदर्शित किया, जो कहीं–न–कहीं शासकीय धन को गबन करने की ओर इशारा करता है।

2. चिकित्सालय द्वारा जुलाई 2015 से जून 2017 के मध्य प्राप्त यूजर चार्जेज की धनराशि नियमानुसार राजकोष एवं चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में 50 प्रतिशत की दर से जमा ही नहीं की गई, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	कुल प्राप्त यूजर चार्जेज	समिति के खाते में जमा की जाने वाली धनराशि (प्राप्त यूजर चार्जेज का 50%)	समिति के खाते में जमा की गई धनरशि	समिति के खाते में कम जमा की गई धनरशि
2015–16 (7/2015)	3142221.00	1571110.50	1547795.00	23315.50
2016–17	5824372.00	2912186.00	2693800.00	218386.00

2017–18 (6/2017)	1322549.00	661274.50	607424.00	53850.50
योगः–	**10289142.00**	**5144571.00**	**4849019.00**	**295552.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चिकित्सालय को यूजर चार्जेज के रुप में जुलाई 2015 से जून 2017 तक रु0 102.89 लाख प्राप्त हुए जिसमें से नियमानुसार चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में रु0 51.45 लाख जमा किया जाना था परन्तु चिकित्सालय द्वारा इसके विपरीत मात्र रु0 48.49 लाख ही चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में जमा किया। इसप्रकार, यूजर चार्जेज के रुप में चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में रु0 2.96 लाख कम जमा किया गया, जो कि उक्त शासनादेश के विरुद्व है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि यूजर चार्जेज से सम्बन्धिम मूल अभिलेखों की पुनः जॉच की जाएगी एवं यदि कोई विभिन्नता हो तो सम्बन्धित कार्मिक से वसूली के साथ–साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। उक्त प्रकरण की जॉच कर कार्रवाई की जाएगी तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

अतः यूजर चार्जेज के रुप में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष रु0 7.26 लाख कम दर्शाए जाने के साथ–साथ चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में रु0 2.96 लाख कम जमा किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 चिकित्सालय से बाहर सम्बद्वता के कारण रु0 12.92 लाख का अनियमित भुगतान।

महानिदेशक, देहरादून के पत्रांक दिनॉक 10 जून 2016 द्वारा अग्रेशित शासनादेश 684/XXVII-3-2016-76/2015 दिनॉक 03.06.2016 में वर्णित किया गया था कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नियुक्त ऐसे कार्मिकों जो अपने मूल तैनाती स्थान से अन्यंत्र सम्बद्वीकृत किए गये हो, को तत्काल रुप से समाप्त किया जाए।

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, हरमिलाप मिशन जिला चिकित्सालय, हरिद्वार के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय में तैनात श्रीमती मंजू कठैत, प्रशासनिक अधिकारी, श्रीमती सुधा तिवारी, स्टाफ नर्स एवं श्रीमती गीता विश्वकर्मा, स्टाफ नर्स को जिला चिकित्सालय के बाहर किसी अन्य स्थलों में सम्बद्व किया गया है तथा उक्त सम्बद्व कार्मिक के वेतन एवं भत्ते चिकित्सालय से आहरित किए जा रहे हैं। विवरण निम्नवत् हैः–

नाम	पदनाम	सम्बद्वता की तिथि	सम्बद्वता की तिथि से वर्तमान तक प्रदत्त भुगतान
श्रीमती मंजू कठैत	प्रशासनिक अधिकारी	24.09.2016	4,70,148.00
श्रीमती सुधा तिवारी	स्टाफ नर्स	19.12.2016	5,08,994.00
श्रीमती गीता विश्वकर्मा	स्टाफ नर्स	30.03.2016	3,13,180.00
योगः–			**12,92,322.00**

इस प्रकार, सम्बद्वता की तिथि से वर्तमान तक उक्त कार्मिकों पर चिकित्सालय के बजट से किया गया रु0 12.92 लाख का वेतन व्यय अनियमित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि महानिदेशालय स्तर से सम्बद्वता की गई। महानिदेशालय के निर्देशानुसार वेतन आहरित किया जाता है। समस्त सम्बद्व कर्मी अस्थायी रुप से नर्सिग कालेज एवं अन्य विभाग में तैनात हैं जिन्हें उन कार्यालयों में स्थायी नियुक्ति होने पर वापस ले लिया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार सम्बद्वता समाप्त कर ली जानी चाहिए थी।

अतः चिकित्सालय से बाहर सम्बद्वता के कारण रु0 12.92 लाख के अनियमित भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3 त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप 17 कार्मिकों को दिनॉक 01.01.2006 से प्रत्येक माह रु0 1,320 का अधिक भुगतान।

शासनादेश संख्या 67/XXVII (7) 40(2)/2012 दिनॉक 13.04.2013 के माध्यम से उपचारिकाओं की वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतन, संरचना के वेतन निर्धारण की फिटमेंट तालिका एवं विकल्प की सुविधा प्रदान किया जाना है, जिसके अनुसार दिनॉक 31.12.2005 में उपचारिकाओं का वेतन रु0 5500–9000 को उच्चीकृत कर रु0 6500–10500 किया गया। उक्त उच्चीकृत वेतन को छठे वेतन आयोग के अनुसार रु0 6,500 का न्यूनतम रु0 12,540 पर निर्धारण किया जाना चाहिए।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, हरमिलाप मिशन जिला चिकित्सालय, हरिद्वार के सेवापुस्तिकाओं की नमूना जॉच में पाया गया कि 17 उपचारिकाओं को उक्त शासनादेश के अनुरुप दिनॉक 01.01. 2006 से रु0 13,860 पर वेतन निर्धारण किया गया, जबकि उक्त शासनादेश के अनुसार उच्चीकृत वेतनमान रु0 6,500 का न्यूनतम रु0 12,540 पर निर्धारण किया जाना चाहिए था। इसप्रकार, संलग्नक में उल्लिखित 17 उपचारिकाओं को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किए जाने के परिणामस्वरुप दिनॉक 01.01.2006 से प्रत्येक माह मूल वेतन में रु0 1,320 का अधिक भुगतान किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि सम्बन्धित कार्मिकों के विरोध के कारण संशोधित वेतनमान नहीं किए जा सके। सम्बन्धित प्रकरण में निदेशालय से स्पष्ट दिशा–निर्देश प्राप्त कर वसूली की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लगभग चार वर्ष ब्यतीत हो जाने के वाबजूद भी चिकित्सालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप 17 कार्मिकों को दिनॉक 01.01.2006 से प्रत्येक माह रु0 1,320 के अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
140 / 2004–05	–	1 एवं 2
81 / 2008–09	–	1
107 / 2013–14	–	1
57 / 2015–16	–	1, 2 एवं 3

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

— शून्य —

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, हरमिलाप मिशन जिला चिकित्सालय, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) } –– शून्य ––
   (ii) }

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i) } –– शून्य ––
   (ii) }

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा0 अनिल कुमार	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	01.07.2015 से 08.11.2015
2.	डा0 ज्योति बोहरा	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	09.11.2015 से 24.06.2016
3.	डा0 आरती ढोंडियाल	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	25.06.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, हरमिलाप मिशन जिला चिकित्सालय, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र